

है, हमें यह पता चला है कि
हमारे प्रतिवादी पिछले 22.6.20
को मरे हैं।

22/6/20

वकील उमेश कुमार शर्मा/ वकील
वादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी/10/ के
मध्यस्थी नामा होने के कारण वादी
द्वारा वाद में आगे किसी प्रकार की
कार्रवाई नहीं पाएने पर वादी की
आपत्ति वकील वादी द्वारा वाद की
आपत्ति पर NOT PRESS करने
कर वाद को अभी स्थगित पर धारणा
द्वारा करने का निर्देश किया।

वाद का अन्तर्गत किया गया
पक्षकारों के मध्यस्थी नामा होने
के कारण एवं वकील वादी द्वारा
वाद को NOT PRESS करने एवं वाद
में आगे किसी प्रकार की कार्रवाई
नहीं पाएने पर वाद को अभी स्थगित
पर धारणा किया जाता है
पक्षकारों द्वारा/10/ से कर
होकर वाद अन्तर्गत पर
धारणा अन्तर्गत है।

(उमेश सिंह)
उपबन्ध अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Not Press
(Signature)
22/6/20